संख्या-15/2021/163/38-4-2021-89(विविध)/2013

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक- 12 मई, 2021**

विषय:-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-503/वि0का0/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0(108)/2020-21, दिनांक 19 मार्च, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-18/2017/522/38-4-17-89(विविध)/2013, दिनांक-11 जुलाई, 2017 में विहित विकास खण्डों के लिए मात्राकृत 01 प्रतिशत प्रशासनिक मद की धनराशि को जनपद स्तर पर प्रशासनिक मद में धनराशि उपलब्ध होने की दशा में आवश्यकतानुसार विकास खण्डों को 01 प्रतिशत से अधिक धनराशि आवंटित किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में यथावश्यक संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपर्युक्त के सन्दर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-18/2017/522/38-4-17-89(विविध)/2013, दिनांक-11 जुलाई, 2017 के प्रस्तर-2(4) को एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

शासनादेश संख्या-18/2017/522/38-4-17-89(विविध) /2013, दिनांक-11 जुलाई, 2017 के प्रस्तर-2(4) में विहित व्यवस्था	**एतद्द्वारा संशोधित व्यवस्था**
प्रस्तर 2(4) जनपद स्तर पर उपलब्ध 3 प्रतिशत की धनराशि में से 01 प्रतिशत (अर्थात कुल उपलब्ध धनराशि का 1/3 भाग) धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस के अन्दर विकास खण्डों को उनके लिए निर्धारित आवासों के लक्ष्यों के अनुपात में वितरित कर दी जाएगी।	प्रस्तर 2(4) जनपद स्तर पर उपलब्ध 3 प्रतिशत की धनराशि में से 01 प्रतिशत धनराशि (अर्थात कुल उपलब्ध धनराशि का 1/3 भाग) विलम्बतम् 15 दिवस के अन्दर विकास खण्डों को उनके लिए निर्धारित आवासों के लक्ष्यों के अनुपात में वितरित कर दी जाएगी। विकास खण्डों को आवंटित प्रशासनिक मद की धनराशि व्यय हो जाने की स्थिति में यदि जनपद स्तर पर धनराशि उपलब्ध है, तो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	योजना के कार्यहित में आवश्यकतानुसार जनपदों द्वारा विकास खण्डों के लिए मात्राकृत 01 प्रतिशत से अधिक प्रशासनिक मद की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त विकास खण्डों को उपलब्ध करायी जा सकती है।

3- उपर्युक्त व्यवस्था वर्ष 2016-17 के प्रशासनिक मद की धनराशि के संबंध में लागू मानी जायेंगी। भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-11014/01/2018-आरएच, दिनांक-6 जून, 2019 द्वारा प्रशासनिक व्यय के संबंध में निर्धारित व्यवस्था के क्रम में पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेगें।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुधीन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-15/2021/163(1)/38-4-2021, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
9- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
10- निदेशक बजट/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
दिनेश चन्द्र पाण्डेय
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।